दिनांक 04 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की चौथी बैठक का कार्यवृत्त

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की चौथी बैठक दिनांक 04.11.2016 को शाम को 3.00 बजे केंद्रीय जल आयोग , सेवा भवन, आर.के पुरम, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष और समूह के अध्यक्ष श्री एडी मोहिले ने की। उन्होंने सभी सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। बाद में, श्री केपी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता-। ने कार्यसूची के विषयों को उठाया। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-।** के रूप में संलग्न है.

मद 4.1: दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित 'नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह' की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

नई दिल्ली में दिनांक 28.10.2016 को आयोजित 'नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह' की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त को 4वीं बैठक की शुरुआत से ठीक पहले सभी सदस्यों को पत्र संख्या एससीआईएलआर/तक /400/11/2016 दिनांक 4 नवंबर, 2016, के माध्यम से परिचालित किया गया था। सदस्यों ने कानूनी पहलुओं पर समूह की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी नहीं और यह निर्णय लिया गया कि समूह की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि अगली बैठक में की जाएगी, साथ ही चौथी बैठक के कार्यवृत्त की भी पुष्टि की जाएगी।

मद 4.2: कानूनी पहलुओं पर समूह की प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने पर चर्चा

(i) **प्रस्तावित प्रतिवेदन की सामान्य संरचना :** बैठक में सदस्यों ने प्रस्तावित प्रारूप रिपोर्ट की सामान्य संरचना पर चर्चा की और निर्णय लिया कि इसमें निम्नलिखित धाराएं हो सकती हैं

(क) धारा 1- परिचय - यहां संक्षेप में राष्ट्रीय जल परिप्रेक्ष्य और उस पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए जिसमें इसे तैयार किया गया था (अंतरराज्यीय समूह की रिपोर्ट में पहले से उपलब्ध सामग्री काम आ सकती है) राज्यों को सूचीबद्ध करने और जल अधिशेष बेसिनों और प्राप्तकर्ता बेसिनों, दाता बेसिनों के राज्यों और प्राप्तकर्ता बेसिनों के राज्यों को दर्शाने वाली तालिकाएं दें।

(ख) आईएलआर कार्यक्रम में शामिल धारा 2- अंतर्राज्यीय मुद्दे - यहां आईएलआर के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और आपत्तियों के प्रकार का वर्णन किया गया है। अब तक प्राप्त आम सहमति और परिणामों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करें।

(ग) जल आबंटन और जल अंतरण पर धारा 3-कानून- इस धारा में राजनीतिक इकाइयों के बीच जल के आबंटन का निर्णय लेने के लिए कानूनों और अभिसमयों का वर्णन किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी दोनों पदों से संबंधित है। गैर बेसिन राज्यों को स्थानांतरित करने के संबंध में प्रासंगिक मामले कानून और जल विवाद न्यायाधिकरणों की प्रासंगिक स्थिति का वर्णन करें।

(घ) धारा 4- समूह द्वारा किया गया कार्य - यहां समूह की बैठकों का वर्णन किया गया है**.** समूह के सदस्यों की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन करें। समूह में संक्षिप्त चर्चा और चर्चा में आम सहमति।

(ङ) समूह की धारा 5 की सिफारिशें - कानूनी हस्तक्षेपों के बारे में सिफारिशें। प्रत्येक सिफारिश के लिए कुछ पृष्ठभूमि सामग्री अनुसंशाओ को सही ठहराने के लिए शामिल किए जाएगा।

(च) धारा 6- पावती

रिपोर्ट लिखते समय, इस स्वरूप में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है. इस बैठक में, समूह के कानूनी हस्तक्षेप का प्रारूप भी तैयार किया गया था, जिसे धारा-5 में जगह मिलेगी और अगले पैरा में दिया गया है।

(ii) **प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में समूह की सिफारिशों का प्रारूप**

"कानूनी पहलुओं पर समूह सिफारिश करता है कि गैर-बेसिन राज्यों को अंतर-बेसिन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक या अधिक केंद्रीय कानून पारित किए जा सकते हैं।

आरबीए अधिनियम 1956 की समीक्षा 2013 में न्यायमूर्ति दोबिया की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की गई थी, जिसने एक पूर्ण संशोधन और एक नए नदी बेसिन अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता का प्रस्ताव किया था। नए अधिनियम को उचित ठहराने के लिए संसद को श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के माध्यम से इस तरह के अधिनियमन से पहले का पालन करने की प्रक्रिया जो संघ को जल शासन के लिए कई सकारात्मक कार्यों को शुरू करने और आगे बढ़ाने का अधिकार देती है। बेसिनों के शासन और प्रबंधन की 2 स्तरीय प्रणाली के साथ नदी बेसिन प्राधिकरणों के निर्माण का यह कदम आईएलआर के कार्यान्वयन में मदद कर सकता है। समूह ने सिफारिश की है कि दोबिया समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्रता से की जाए।

प्रविष्टि 56 के अंतर्गत एक या अधिक संकल्प वांछनीय हैं। जबकि इस तरह के कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता हो सकती है, आवश्यक विशेषताएं निम्नानुसार हो सकती हैं:

क) यह घोषणा की जा सकती है कि अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए, यह सार्वजनिक हित में है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को राज्यों सहित सभी संबंधितों द्वारा अपनाया और कार्यान्वित किया जा सकता है:

"राष्ट्रीय जल नीति, 2012"

राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय नदियों के जल के आबंटन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (इन दिशानिर्देशों को अभी तक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, और इन्हें या तो परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है या एनडब्ल्यूआरसी की प्रक्रिया गुजरे बिना कानून में शामिल किया जा सकता है)।

(ख) यह कानून एक राष्ट्रीय जल संहिता को अपनाने को प्रोत्साहित कर सकता है।

(ग) नदी बेसिन प्राधिकरणों (आरबीए) की स्थापना के लिए विधान, जिसकी पृष्ठभूमि उपर्युक्त पैरा में पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

घ) यह एक अभिकरण (या एक मौजूदा अभिकरण को सशक्त बना सकता है) और इसे ऐसे हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए आवश्यक तरीकों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, और विशेष रूप से, अधिशेष जल की मांगों और उपलब्धता को तय करने के लिए आवश्यक, और गैर-बेसिन राज्यों द्वारा उनके हस्तांतरण और उपयोग को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।

ङ) यह संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत नदी जोड़ने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय अधिकरण (गैर-बेसिन राज्यों को अंतर-बेसिन अंतरण) का सृजन कर सकता है ताकि उक्त अभिकरण द्वारा तैयार किए गए मानकों और पद्धतियों के साथ-साथ अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल को गैर-बेसिन राज्यों को हस्तांतरित करने के लिए व्यक्तिगत योजनाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार संशोधनों के साथ विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लिया जा सके और अनुमोदित किया जा सके। यदि कोई राज्य उपर्युक्त अभिकरण के निर्णय से व्यथित है तो यह मामला इस अधिकरण में जाएगा। संबंधित या इच्छुक राज्य, इन कार्यवाहियों के पक्षकार होंगे।

च) यदि किसी बेसिन में अभिकरण के अध्ययन या उक्त अधिकरण के अपीलीय निर्णय के माध्यम से अधिशेष जल पाया जाता है, तो नदी बेसिन प्राधिकरण इस अधिशेष को गैर बेसिन राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। इसी प्रकार यदि आवश्यक हो, तो किसी भी मौजूदा अंतर-राज्यीय समझौते या जल विवाद अधिकरण पंचाट को इस निष्कर्ष के आलोक में फिर से तैयार करना होगा।

छ) यह प्रावधान कर सकता है कि उक्त अभिकरण द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों के संबंध में इस तरह की शिकायतों से उत्पन्न होने वाले विवादों या शिकायतों के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी, जिस हद तक वे उक्त ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित हैं।

ज) यह संबंधित राज्यों के परामर्श से अंतर-बेसिन अंतरणों की स्कीमों के निष्पादन और बाद में प्रचालन के लिए मशीनरी के सृजन, राज्यों के बीच योजना की लागत के आबंटन की प्रक्रिया और प्रयोक्ताओं के राज्यों से की जाने वाली वसूलियों के बारे में निर्णयों का प्रावधान करेगा।

मद संख्या 4.3 समूह का कार्यकाल

समूह का कार्यकाल दिनांक 20 नवंबर, 2016 तक बढ़ा दिया गया है। तथापि, समूह के सदस्यों द्वारा यह महसूस किया गया था कि विस्तारित तिथि तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा क्योंकि कुछ सदस्य अन्य कार्यों में व्यस्त हैं जबकि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कुछ और बैठकों की आवश्यकता होगी। सामान्य विचार यह था कि रिपोर्ट जनवरी, 2017 के अंत तक प्रस्तुत की जा सकती है।

मद संख्या 4.4 भविष्य मे लिया जाने वाला काम

आगामी बैठकों की अनंतिम तिथियां और बैठक में तय किए गए कार्यक्रम और इन बैठकों में चर्चा की जाने वाली मदों का ब्यौरा इस प्रकार है-

राजविअ अध्याय 1 और 2 का प्रारूप तैयार करेगा, और इसे दिनांक 16 नवंबर, 2016 तक सभी सदस्यों को भेज देगा। अध्याय 4 का प्रारंभिक प्रारूप राजविअ द्वारा 20 नवंबर, 2016 तक सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

दिनांक 21 नवंबर, 2016 को 5वीं बैठक- प्रस्तावित रिपोर्ट के मसौदे धारा-1 और 2 को अंतिम रूप देना और बैठक में धारा-4 में संक्षेप में परिवर्तन का सुझाव देना।

राजविअ दिनांक 28 नवंबर, 2016 तक अध्याय 3 और 5 के मसौदे को प्रसारित करेगा।

दिनांक 2 दिसंबर, 2016 को 6$^{वीं}$ बैठक - प्रस्तावित रिपोर्ट के प्रारूप धारा -3, 4 और 5 को अंतिम रूप देना।

(यह निर्णय लिया गया था कि 6वीं बैठक के बाद, राजविअ 10 दिसंबर, 2016 तक पूरी प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करेगा और कानूनी पहलुओं पर समूह के सदस्यों के बीच प्रसारित करेगा)

दिनांक 16 दिसंबर, 2016 को 7 वीं बैठक- समूह की प्रारंभिक प्रारूप रिपोर्ट पर विचार करने के लिए।

मद संख्या 4.5 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

श्री मोहिले ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि उपर्युक्त बैठकें मुख्यरूप से रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए होती हैं। हालांकि सभी सदस्यों को बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यदि

किसी भी सदस्य को कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक में शामिल होने में कठिनाई होती है, तो उससे ई-मेल के माध्यम से योगदान करने का अनुरोध किया जाता है।
बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 4 नवंबर, 2016 को आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की 4 वीं बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1.	श्री एडी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री विराग गुप्ता, संवैधानिक और पर्यावरण कानून विशेषज्ञ	सदस्य
3.	प्रो अवधेश प्रताप, जल कानून और प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
4.	श्री एम गोपालकृष्णन पूर्व सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5.	श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (आईएमओ), केंद्रीय जल आयोग	विशेष आमंत्रित सदस्य
6.	श्री बी पी पांडे, निदेशक (आईएसएम), केंद्रीय जल आयोग	विशेष आमंत्रित सदस्य
राजविअ के अधिकारी		
7.	श्री एस मसूद हुसैन, महानिदेशक	
8.	श्री आर.के जैन मुख्य अभियंता (मुख्यालय)	
9.	श्री के.पी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता	
10.	श्री एम.के सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार	
11.	श्री नागेश महाजन, उप निदेशक	